RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10320/2025

Shekh Najibur Rahman S/o Sheka Zenul

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Abdul Kalam Khan
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Gupta, GA Cum P.P. with Mr. Shubham Sain, AAAG

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

01/12/2025

सुना गया।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को इस प्रकरण में मिथ्या लिप्त किया जा रहा है, उसका प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम नहीं है। मात्र अन्य मुलजिम मोहम्मद हुसैन के बयान के आधार पर उसे जोडा जा रहा है। वह अनुसंधान में भाग लेने व संबंधित अनुसंधान अधिकारी के समक्ष अनुसंधान में सहयोग करने हेतु तैयार व तत्पर हैं।

योग्य लोक अभियोजक द्वारा प्रकरण के अनुसंधान से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे अभिलेख पर रखा जावे।

तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त मोहम्मद हुसैन के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 193(9) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अनुसंधान लंबित है।

दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण के अनुसंधान हेतु दिनांक **18.12.2025** को या इससे पूर्व **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–204/2024, पुलिस थाना लाखेरी, जिला**

जिला बूंदी के अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है।

अनुसंधान अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से गहनता से आवश्यक पूछताछ करने के पश्चात् प्रकरण की नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट मय केस डायरी योग्य लोक अभियोजक के माध्यम से आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

पत्रावली दिनांक **08.01.2026** को सूचीबद्ध की जावे, तब तक प्रार्थी/अभियुक्त **शेख नजीबुर रहमान पुत्र शेख जेनुल** को इस प्रकरण में गिरफ्तार नहीं किया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Mahesh Adwani /247